इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 फरवरी 2012—फाल्गुन 10, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 5066-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 फरवरी 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१२

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) में खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ तथा २०१४-१५ के लिये कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिये प्राक्कलित जीएसडीपी के क्रमश: ३७.६ प्रतिशत, ३६.८ प्रतिशत, ३६.० प्रतिशत तथा ३५.३ प्रतिशत से अधिक नहीं हों;".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक १ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के १३वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसरण में, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमाओं पर अधिकतम सीमा अधिरोपित की है और यही राज्य के "राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम" में समाविष्ट किया जाना है. १३वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किये गये विनिर्दिष्ट अनुदान राज्यों को जारी किये जाने के लिये यह एक पूर्व शर्त है. अतएव, यह विनिश्चित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेने की सीमाओं को समाविष्ट करते हुए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ को यथोचित रूप से संशोधित की जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं था, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक १ सन् २०१२) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अतएव, यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २२ फरवरी, २०१२

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परिपत्र क्रमांक ओ.एम.एफ.(१)/२०१० एफ.आर.यू., दिनांक १४ जनवरी, २०११ अनुसार कुल परादेय ऋण ३१ मार्च, २०१२ तक ३७.६ प्रतिशत, ३१ मार्च, २०१३ तक ३६.८ प्रतिशत, ३१ मार्च, २०१४ तक ३६.० प्रतिशत एवं ३१ मार्च, २०१५ तक ३५.३ प्रतिशत उस वर्ष के लिये प्राक्कलित राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से अधिक नहीं होना चाहिये. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ में तद्विषयक संशोधन करना १३वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले राज्य विशेष अनुदान हेतु आवश्यक शर्त है. इस हेतु दिनांक ११ जनवरी, २०१२ को अध्यादेश (क्रमांक १ सन् २०१२) जारी किया गया है.

अतः उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना उपान्तरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2012—फाल्गुन 11, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 1486-68-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 1 OF 2012

THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA AVAM BUDGET PRABANDHAN (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 9.

2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), in sub-section (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) ensure that total outstanding debt do not exceed 37.6 percent, 36.8 percent, 36.0 percent and 35.3 percent for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 of the estimated GSDP for that year respectively;".

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (No. 1 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In pursuance of the recommendation of 13th Finance Commission of India, the Government of India imposed ceiling on the State Government's borrowing limits and the same have to be incorporated in the "Fiscal Responsibility and Budget Management Act" of the State. This is a precondition for the release of State specific grants recommended by the 13th Finance Commission. Therefore, it is decided to amend Section 9 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005) suitably, incorporating borrowing limits set by the Government of India.

2. As the matter was urgent and the Madhya Pradesh Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (No. 1 of 2012) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 22nd February, 2012.

RAGHAV JI
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012